पत्रांक–1प्रा0आ0–13 / 2016.....3189...../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 25/8/16

विषयः **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 50 के अन्तर्गत आपदा की स्थिति में बचाव या राहत के लिए रसद या सामग्रियों का तत्काल अधिप्राप्ति** (immediate procurement of provisions or materials) **या संसाधनों का तत्काल उपयोजन** (immediate application of resources) **के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्त्तमान में राज्य में आयी बाढ़ के कारण प्रभावितों को साहाय्य उपलब्ध कराने के क्रम में कतिपय सामग्रियों यथा पॉलीथीन शीट्स आदि के दर निर्धारित नहीं होने के आलोक में आयी कठिनाई के कारण कतिपय जिलों द्वारा मार्गदर्शन की मांग की जाती रही है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 50 में आपदा की स्थिति में आकस्मिक परिस्थिति से निपटने हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह शक्ति प्रत्योजित की गई है जिसके अन्तर्गत वे वित्त नियमावली को शिथिल करते हुए सामग्रियों का क्रय कर सकते हैं।

अतः ऐसी परिस्थिति आने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 50 के अन्तर्गत कार्रवाई किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

25/8/16

(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक .....3189...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 25/8/16

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/16

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3189 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 25/8/16

प्रतिलिपि– सभी प्रभारी सचिव/ प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/16

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3189 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 25/8/16

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/16

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3189 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 25/8/16

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/16

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3189 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 25/8/16

प्रतिलिपि– माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25/8/16

संयुक्त सचिव